

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- भवानी सिंह, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 51/2019

वादीगण

1. कालुराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
2. नारायणराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
जाति सीरवी (राठौड़) निवासी
बेरा दासों का अरठ, पतालियावास
विद्यालय के पास, वार्ड सं. 5
कस्बा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बींजाराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
उर्फ देदाराम निवासी बेरा दासो
का अरठ, पतालियावास विद्यालय
के पास वार्ड सं. 5 कस्बा बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. राजुराम पुत्र स्व. श्री हनुमानराम
3. मिश्रीलाल पुत्र स्व. श्री हनुमानराम
4. लालाराम पुत्र स्व. श्री हनुमानराम
5. दौलाराम पुत्र स्व. श्री नैनाराम
6. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री नैनाराम
के कायम मुकाम :-
6/1 मथुरादेवी पत्नी स्व. श्री भंवरलाल
6/2 नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री भंवरलाल
6/3 देवाराम पुत्र स्व. श्री भंवरलाल
जातियान सीरवी निवासी बेरा भादेली
वार्ड सं. 5 चैनपुरा की ढाणी के पास,
बिलाड़ा
6/4 सुनीला पुत्री स्व. श्री भंवरलाल
पत्नी श्री लक्ष्मणराम जाति सीरवी
निवासी बेरा चांदावतों का नवोड़ा
चैनपुरा की ढाणी के पास, बिलाड़ा,
तहसील बिलाड़ा
7. रामबक्श पुत्र श्री मंगलाराम
8. मोहनलाल पुत्र श्री मंगलाराम
9. पुसाराम पुत्र श्री मंगलाराम
10. कालुराम पुत्र श्री मंगलाराम
11. पानीदेवी पुत्री श्री मंगलाराम
12. गंगादेवी पत्नी श्री मंगलाराम
जाति जाट निवासी बेरा खदाव कृषि
फार्म, पतालियावास जाने वाली रोड़
पर बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर
13. माधवसिंह पुत्र स्व. श्री पन्नाराम
14. ओगड़राम पुत्र स्व. श्री पन्नाराम
जाति सीरवी निवासी बेरा होल
चैनपुरा की ढाणी के पास, वार्ड सं.
5, बिलाड़ा



15. भगवानसिंह पुत्र स्व. श्री पुरखाराम जाति सीरवी निवासी बेरा दासों का अरट पतालियावास विद्यालय के पास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा
16. रूपाराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
17. चुतराराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
18. नाथुराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
19. गोपाराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
20. हड़मानराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा विजयसिंह की सराई वार्ड स. 5 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
21. भोलाराम पुत्र स्व. श्री जोराराम
22. कानाराम पुत्र स्व. श्री जोराराम
23. ढगलाराम पुत्र स्व. श्री जोराराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा सादों का अरट पतालियावास विद्यालय के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
24. शाखा प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर
25. शाखा प्रबन्धक, मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

**वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोशणा व स्थायी निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान का"तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति :- वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 7 से 12 की ओर से श्री अ"गोक कुमार पटेल एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2 से 6, 13 से 25 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 26 सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :-

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4628 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 4629 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 4636 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा

नम्बर 4637 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 4644 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4654 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 15 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4661 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 4974 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 5710 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वा"ी आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 653 है, जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पु"तैनीसुदा, सयुक्त खातेदारोसुदा, सयुक्त कब्जा का"तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नम्बर 3 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4977/5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 651 है। जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सयुक्त परिवार की आय से खातेदार शेराराम, लच्छाराम, मिदाराम पिसरान चौथाराम से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 29.04.1975 को खरीद की तथा रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई तब से उपरोक्त खसरान की भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है। जबकि उपरोक्त खसरे की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा होने के कारण वादीगण का भी उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर कानूनन हक व हिस्सा है, यानि उपरोक्त खसरे की भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा कानूनन है। इसी हक व हिस्से के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त खसरे की भूमि पर वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक सयुक्त कब्जा का"त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार को बिगौड़ी अदा करत आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उपरोक्त हक व हिस्से के अनुसार उपरोक्त खसरे की भूमि के सम्बंध में आज दिन तक विधिवत् विभाजन भी नहीं हुआ है। उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' से सम्बोधित किया गया है। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नम्बर 3 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 5715 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 5716 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 654 है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक व हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/2 हक व हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त खसरान में स्थित 1/2 हक व हिस्से की भूमि सयुक्त परिवार की आय से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.03.1976 को खातेदार धूलाराम पुत्र श्री नन्दाराम जाति सीरवी सेपटा सा. बिलाडा से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.03.1976 को खातेदार रामिंग पुत्र श्री मेगाजी जाति सीरवी काग सा. बिलाडा वालों से खरीद की तथा रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई तब से उपरोक्त खसरान की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है। जबकि उपरोक्त खसरान की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा होने के कारण वादीगण का भी उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर कानूनन हक व हिस्सा है, यानि उपरोक्त खसरे की भूमि के 1/2 हिस्से में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा कानूनन है। यानि उपरोक्त दोनो खसरान की सम्पूर्ण भूमि में से वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है। इसी हक व हिस्से के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त खसरे की भूमि पर वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक सयुक्त कब्जा

का"त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार को बिगौड़ी अदा करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उपरोक्त हक व हिस्से के अनुसार उपरोक्त खसरे की भूमि के सम्बंध में आज दिन तक विधिवत् विभाजन भी नहीं हुआ है। उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' से सम्बोधित किया गया है। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4312 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 931 है। जिसमें वादी सं. 1 का 1/18 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/18 वॉ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 वॉ हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 1/3 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 13 से 14 का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/12 वॉ हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 16 से 23 का 1/3 हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 13 से 14 व प्रतिवादी संख्या 15 के पूर्वज जहिंगराम थे। जहिंगराम के दो पुत्र धन्नाराम व हुक्माराम थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। धन्नाराम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता थे तथा हुक्माराम प्रतिवादी संख्या 13, 14 व 15 के दादा थे। जहिंगराम का उपरोक्त खसरे की भूमि में 1/3 हिस्सा था। जहिंगराम फौत होने पर जहिंगराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में जहिंगराम के पुत्र हुक्माराम का ही नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। धन्नाराम जो कि जहिंगराम के दूसरे पुत्र थे, उनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में जहिंगराम के स्थान पर बतौर खातेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया। जबकि धन्नाराम भी जहिंगराम के पुत्र होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार उनका भी हुक्माराम के बराबर जहिंगराम की 1/3 हक व हिस्से की भूमि में हिस्सा कानूनन निहित हुआ था तब उनका भी नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज होना चाहिये था। इसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में वर्ष 1997 में दावा पे"ा किया। प्रतिवादी संख्या 1 मजदूरी हेतु बाहर गया होने के कारण उस समय दावा में बतौर वादी के रूप में पक्षकार नहीं बन सका। माननीय न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 13, 14 व 15 की उपरोक्त खसरे में स्थित 1/3 हक व हिस्से की सम्पूर्ण पु"तैनी भूमि में से वादी संख्या 1 को 1/12 हक व हिस्से का तथा वादी संख्या 2 को 1/12 हक व हिस्से का खातेदार का"तकार घोषित किया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 भी धन्नाराम का पुत्र होने के कारण उसका भी उपरोक्त खसरे में स्थित 1/3 हक व हिस्से की पु"तैनी भूमि में वादीगण के बराबर हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार निहित है। इस प्रकार उपरोक्त खसरे के 1/3 हिस्से की पु"तैनी भूमि में वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है यानि उपरोक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि में से वादी संख्या 1 का 1/18 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/18 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 वॉ हिस्सा कानूनन है। उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'डी' से सम्बोधित किया गया है।

अन्त में वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 17 (क),(ख),(ग),(घ),(ङ),(च),(छ),(ज),(द) में वर्णितानुसार अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किये जाने की इस्तदुआ चाही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 04.03.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 4977/5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में से वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया गया एवं इसी प्रकार ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 5715 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 5716 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज

1/2 हिस्से की भूमि में से वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया गया, इसी अनुसार ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4628 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 4629 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 4636 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 4637 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 4644 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4654 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 15 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4661 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 4974 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 5710 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वा"ी भूमि में से वादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से व वादी संख्या 2 के 1/3 हिस्सा का राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 की सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' की भूमि खसरा नम्बर 4977/5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में से वादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से व वादी संख्या 2 के 1/3 हिस्से का, राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 4 की सरहद में स्थित भूमि 'सी' खसरा नम्बर 5715 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 5716 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि में से वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का, राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 सरहद में स्थित 'डी' की भूमि खसरा नम्बर 4312 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा में से वादी संख्या 1 का 1/18 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/18 वॉ हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4628 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 4629 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4636 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4654 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 5 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4974 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5710 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 5715 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 4312 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा 5 बिस्वा"ी भूमि वादी संख्या 1 कालूराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 4628 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 4629 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4636 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4637 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 5 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4974 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5710 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5715 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 5716 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4312 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल खसरा 11 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा 5 बिस्वा"ी भूमि वादी संख्या 2 नारायणराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 4628 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4644 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 5 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4661 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 4977/5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 5715 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 5716 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 4312 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल खसरा 09 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा 5 बिस्वा"ी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बींजाराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 4312 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से ओगडराम, यादवसिंह पि. पन्नाराम 1/12 हिस्सा, भगवानसिंह पुत्र पुरखाराम 1/12 हिस्सा, कानाराम, ढगलाराम, भोलाराम, हिम्मताराम पि. जोराराम 1/3 हिस्सा जाति सीरवी के बंट में रखी गयी यानि कुल

13 बीघा 16 बिस्वा भूमि उपरोक्त खातेदारान के बंट में रखी गयी व खसरा नम्बर 4312 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से रामबक्ष, मोहनलाल, पुसाराम, कालूराम पि. मंगलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार के बंट में 1/3 हिस्स की भूमि यानि रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के अधिवक्ता द्वारा आपति पे"ा की जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया कि खसरा नम्बर 4312 के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 1/3 हिस्सा है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव में 1/4 हिस्सा बताया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव में 1/4 हिस्सा लिपिकीय भूल से लिखा गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का उक्त खसरे में 1/3 हिस्सा होना वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। इसलिए लिपिकीय भूल 1/4 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 1/3 हिस्सा पढा जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपति कौनसी धारा, आदे"ा व नियम में पे"ा की गयी इसका उनके द्वारा प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नही किया गया तथा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव काल्पनिक तौर पर तैयार नही किया गया है अपितु मौके पर जाकर हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया जो बंटवाड़ा प्रस्ताव से स्पष्ट है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपति खारिज की जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्"ा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्"ा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक
कर सरे इजलास सुनाया गया।

को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण

1. कालुराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम
2. नारायणराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम जाति सीरवी (राठौड़) निवासी बेरा दासों का अरठ, पतालियावास विद्यालय के पास, वार्ड सं. 5 कस्बा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बींजाराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम उर्फ देदाराम निवासी बेरा दासो का अरठ, पतालियावास विद्यालय के पास वार्ड सं. 5 कस्बा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. राजुराम पुत्र स्व. श्री हनुमानराम
3. मिश्रीलाल पुत्र स्व. श्री हनुमानराम
4. लालाराम पुत्र स्व. श्री हनुमानराम
5. दौलाराम पुत्र स्व. श्री नैनाराम
6. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री नैनाराम के कायम मुकाम :-
 - 6/1 मथुरादेवी पत्नी स्व. श्री भंवरलाल
 - 6/2 नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री भंवरलाल
 - 6/3 देवाराम पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जातियान सीरवी निवासी बेरा भादेली वार्ड सं. 5 चैनपुरा की ढाणी के पास, बिलाड़ा
 - 6/4 सु"गीला पुत्री स्व. श्री भंवरलाल पत्नी श्री लक्ष्मणराम जाति सीरवी निवासी बेरा चांदावतों का नवोड़ा चैनपुरा की ढाणी के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
7. रामबक्श पुत्र श्री मंगलाराम
8. मोहनलाल पुत्र श्री मंगलाराम
9. पुसाराम पुत्र श्री मंगलाराम
10. कालुराम पुत्र श्री मंगलाराम
11. पानीदेवी पुत्री श्री मंगलाराम
12. गंगादेवी पत्नी श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी बेरा खदाव कृषि फार्म, पतालियावास जाने वाली रोड़ पर बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
13. माधवसिंह पुत्र स्व. श्री पन्नाराम
14. ओगडराम पुत्र स्व. श्री पन्नाराम जाति सीरवी निवासी बेरा होल चैनपुरा की ढाणी के पास, वार्ड सं. 5, बिलाड़ा
15. भगवानसिंह पुत्र स्व. श्री पुरखाराम जाति सीरवी निवासी बेरा दासों का अरठ पतालियावास विद्यालय के पास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा
16. रूपाराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम

17. चुतराराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
18. नाथुराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
19. गोपाराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
20. हड़मानराम पुत्र स्व. श्री हिम्मताराम
जातियान सीरवी निवासीगण बेरा
विजयसिंह की सराई वार्ड स. 5
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
21. भोलाराम पुत्र स्व. श्री जोराराम
22. कानाराम पुत्र स्व. श्री जोराराम
23. ढगलाराम पुत्र स्व. श्री जोराराम
जातियान सीरवी निवासीगण बेरा
सादों का अरट पतालियावास
विद्यालय के पास बिलाड़ा, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
24. शाखा प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास
बैंक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर
25. शाखा प्रबन्धक, मरुधरा ग्रामीण बैंक
शाखा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(भूमिधारी) तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 51/2019

निर्णय

दिनांक :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 7 से 12 की ओर से श्री अणोक कुमार पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 से 6, 13 से 25 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 26 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4628 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 4629 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4636 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4654 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 5 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4974 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5710 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 5715 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 4312 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा 5 बिस्वा"ी भूमि वादी संख्या 1 कालूराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 4628 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 4629 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4636 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4637 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 5 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4974 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5710 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5715 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 5716 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4312 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल खसरा 11 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा 5 बिस्वा"ी भूमि वादी संख्या 2 नारायणराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 4628 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 4639 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4644 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4660 रकबा 5 बिस्वा"ी, खसरा नम्बर 4661 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 4977/5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 5715 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 5716 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 4312 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल खसरा 09 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा 5 बिस्वा"ी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बीजाराम पुत्र धन्नाराम

जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 4312 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से ओगड़राम, यादवसिंह पि. पन्नाराम 1/12 हिस्सा, भगवानसिंह पुत्र पुरखाराम 1/12 हिस्सा, कानाराम, ढगलाराम, भोलाराम, हिम्मताराम पि. जोराराम 1/3 हिस्सा जाति सीरवी के बंट में रखी गयी यानि कुल 13 बीघा 16 बिस्वा भूमि उपरोक्त खातेदारान के बंट में रखी गयी व खसरा नम्बर 4312 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से रामबक्ष, मोहनलाल, पुसाराम, कालूराम पि. मंगलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार के बंट में 1/3 हिस्से की भूमि यानि रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के अधिवक्ता द्वारा आपति पे"ा की जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया कि खसरा नम्बर 4312 के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 1/3 हिस्सा है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव में 1/4 हिस्सा बताया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव में 1/4 हिस्सा लिपिकीय भूल से लिखा गया है जबकि पतिवादी संख्या 7 से 12 का उक्त खसरे में 1/3 हिस्सा होना वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। इसलिए लिपिकीय भूल 1/4 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 1/3 हिस्सा पढा जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 7 स 12 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपति कौनसी धारा, आदे"ा व नियम में पे"ा की गयी इसका उनके द्वारा प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव काल्पनिक तौर पर तैयार नहीं किया गया है अपितु मौके पर जाकर हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया जो बंटवाड़ा प्रस्ताव से स्पष्ट है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपति खारिज की जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्"ा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्"ा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह —सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक —की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा